राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .1088/2017.....जिला.....चित्तौडगढ़.....

उनवान – मैसर्स व्हाईट गोल्ड इम्पेक्स, चित्तौडगढ़ बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/8/2017	**खण्डपीठ** **श्री नत्थूराम, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.गर्ग, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2017, जो कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 55 व 61 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 01.03.2016 के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.03.2016, जो निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिये पारित किया गया हैं, में विवादित मांग राशि कर रू. 6,57,945/–, शास्ति रू. 13,15,890/– एवं ब्याज रू. 94,445/– के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन आवदेन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा "एफ" फार्म से स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच नीमच (मध्यप्रदेश) से चित्तौडगढ की ब्रांच में किया गया। माल कॉटन वेस्ट चित्तौडगढ (राजस्थान) में नहीं मंगवाकर व्यवहारी द्वारा मध्यप्रदेश से ही पैकिंग कर सीधे ही खरीददार फर्म को भेज दिया गया। माल राजस्थान से बाहर ही खरीद कर बाहर ही बिक्री की गई तथा व्यवहारी द्वारा धारा 6(2) एवं 6ए की अवहेलना नहीं की गई है। अतः आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अविधिक बताते हुए उन्हें अस्वीकार करने एवं प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिक बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का ससम्मान अध्ययन किया गया। चूंकि व्यवहारी की अन्तर्राज्यीय खरीद केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत नहीं की गई है, बल्कि यह ब्रांच ट्रांसफर है। इसलिए इस संव्यवहार पर धारा 6(2) के तहत दर्शाई गई बिक्री प्रथम दृष्टया अनुज्ञेय नहीं है। इसलिए अपीलार्थी के पक्ष को बल नहीं मिलता है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) की परिभाषा निम्न प्रकार है :– 2m लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .1088/2017..............................जिला...........चित्तौडगढ़..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23/8/2017

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub section(1A), where a sale of any goods in the course of inter-State trade or commerce has either occasioned the movement of such goods from one State to another or has been effected by a transfer of documents of title to such goods during their movement from one State to another, any subsequent sale during such movement effected by a transfer of documents of title to such goods to a registered dealer, if the goods are of the description referred to in sub-section (3) of section 8, shall be exempt from tax under this Act provided that no such subsequent sale shall be exempt from tax under this sub-section

unless the dealer effecting the sale furnishes to the prescrbed authority in the prescribed manner and within the prescribed time or within such furhter time as that authority may, for sufficient cause, permit-

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा है। प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन आंशिक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेशान्तर्गत स्थगन हेतु आवेदित राशि में से शास्ति रू. 13,15,890/– की वसूली को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। उक्त स्थगित राशि के बराबर कर निर्धारण अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुरूप पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त शास्ति राशि स्थगित की जाती है। जमानत प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। मिसल दिनांक 22.09.2017 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो।

निर्णय सुनाया गया

23/8/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य